



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

14 अगस्त 2025

विनियामक सैंडबॉक्स: 'तटस्थ' विषय पर पाँचवाँ कोहोर्ट - निकास

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस), जो 'विषय तटस्थ' था, के पाँचवें कोहोर्ट में पांच संस्थाओं को अपने उत्पादों की जांच शुरू करने के लिए चुना गया था, जिसकी सूचना [दिनांक 26 जुलाई 2024 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से दी गई थी।

2. जिन संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा किया, उनके उत्पादों का मूल्यांकन, पारस्परिक रूप से सहमत जांच परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित एक उत्पाद आरएस के अंतर्गत जांच के दौरान परिभाषित सीमांत स्थितियों के भीतर व्यवहार्य पाया गया है:

| क्र. सं. | सैंडबॉक्स संस्था | विवरण |
|----------|---|--|
| 1 | इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीडीआईसी) प्राइवेट लिमिटेड भागीदार वित्तीय संस्थान - आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और आदित्य बिडला कैपिटल लिमिटेड (जिसे पहले आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)। | ब्लॉकचेन आधारित डीप टियर फाइनेंसिंग समाधान एमएसएमई, जो क्रृष्णयोग्य एंकर की आपूर्ति शृंखला का हिस्सा है, को सक्षम बनाता है, ताकि वे अपने मूल्य संवर्धन से जुड़े किफायती वित्त तक पहुँच प्राप्त कर सकें। एंकर द्वारा स्वीकार किए गए टियर-1 आपूर्तिकर्ता के बीजक को टोकनीकृत किया जाता है और यह प्लेटफॉर्म स्वीकृत बीजक के भुगतान के सापेक्ष क्रेता द्वारा विक्रेता को इन टोकन के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। क्रृष्णदाता इस प्लेटफॉर्म पर इन टोकन के बदले आपूर्तिकर्ता को डिजिटल रूप से निधि प्रदान करते हैं। समाधान का उद्देश्य निचले टियर एमएसएमई के लिए क्रृष्ण अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। |

3. उक्त संस्था अब आरएस के पाँचवें कोहोर्ट से बाहर हो गई है। लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, विनियमित संस्थाओं द्वारा इस उत्पाद को अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

4. [दिनांक 9 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी](#) में घोषित किए अनुसार, 'विषय तटस्थ' जांच (रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार में आने वाला कोई भी उत्पाद या सेवा) के लिए आरएस के आवेदन अब 'ऑन-टैप' हैं। इच्छुक संस्थाएँ [प्रवाह पोर्टल](#) के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ अपना [आवेदन](#) प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदनों की जांच [विनियामक सैंडबॉक्स](#) के लिए सक्षम ढाँचे (28 फरवरी 2024 को यथा अद्यतित) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक